भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1617

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाथवेज़ टू अमृत काल

†1617. श्री बसवराज बोम्मईः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

श्री खगेन मुर्मुः

श्री राजकुमार चाहरः

श्री पी. सी. मोहनः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति की 'पाथवेज़ टू अमृत कालः एनविजनिंग एंड रीयलाइजिंग ए न्यू फ्यूचर फॉर इंडियन सिटीज' शीर्षक वाले प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण के मुद्दे के समाधान हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज)/ शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

उच्च स्तरीय शहरी नियोजन समिति ने प्रथम मसौदा रिपोर्ट "पाथवेज टू अमृत काल: एनविजनिंग एंड रीयलाइज़िंग ए न्यू फ्यूचर फॉर इंडियन सिटीज" अप्रैल 2023 में प्रस्तुत की है। समिति के कार्यकाल को 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि की तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित दिशानिर्देश/उपनियम जारी किए हैं:

- शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना विनियमन और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014
- मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल)-2016

मंत्रालय योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से शहरी नियोजन ईको-सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहा है। राज्यों को शहरी नियोजन सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए पूँजी निवेश के लिए विशिष्ट सहायता योजनाएं प्रारम्भ की गईं। योजना का उद्देश्य शहरी नियोजन को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हुए भूमि-उपयोग, स्थायी विकास, सामर्थ्य और राजस्व जुटाने की क्षमता को बढ़ावा देना है।

i. 6000 करोड़ रुपये के आवंटन सहित पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशिष्ट सहायता योजना - 2022-23 - भाग - VI (शहरी नियोजन सुधार) - सुधार संघटकों में, प्रतिवादों को छोड़कर, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण और भूमि का इष्टतम उपयोग, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर), स्थानीय क्षेत्र योजनाओं का क्रियान्वयन (एलएपी) और नगर नियोजन योजनाएं (टीपीएस), परिवर्तन-उन्मुख विकास (टीओडी) का कार्यान्वयन जैसे आधुनिक शहरी नियोजन उपकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को स्पंज शहरों के निर्माण, सार्वजनिक यातायात के लिए बसों को चलाने के लिए कराधान हटाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
ii. 15000 करोड़ रुपये के आवंटन सहित पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशिष्ट सहायता योजना - 2023-24- भाग - III (शहरी नियोजन सुधार) - सुधार संघटकों में, योग्य शहरी नियोजकों को हायर करके मानव संसाधन की वृद्धि, नगर नियोजन योजना (टीपीएस)/लैण्ड पूलिंग योजना, भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, स्व-स्थाने पुनर्वास को बढ़ावा देना, परिवर्तन-उन्मुख विकास (टीओडी), नियोजन उपकरण के रुप में हस्तांतरणीय विकास अधिकारों, शहरी नियोजन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के प्राकृतिक ईको-सिस्टम का सुदृढ़ीकरण, वाटरफ्रंट के विकास आदि शामिल हैं।

500 अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने पर अमृत के तहत एक उप-योजना कार्यान्वयन चरण में है। उप-योजना का उद्देश्य जियो डेटाबेस बनाना और जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना है। वर्तमान में 35 राज्यों के 461 अमृत शहर इस योजना के तहत शामिल हैं। 355 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें से 208 शहरों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

इसके अलावा, नगर नियोजन योजना (टीपीएस) और स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की तैयारी के लिए अमृत के तहत एक पायलट उप-योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भूमि पार्सल के समायोजन और ओल्ड सिटी सेंटरों के जीर्णोद्वार के माध्यम से योजनाबद्ध शहरी विकास करना है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की योजना को 50,000 से 99,999 की जनसंख्या वाले वर्ग-II शहरों तक विस्तारित किया गया है। भू-डेटाबेस के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****